India's Representation at Funeral of President

Kennedy

अध्यक्ष महोदय: यह बहस के लि ये नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्योंकि मैं ने एक सवाल भी दिया था ग्रौर उस के साथ साथ एक प्रस्ताव भी दिया था, ग्रौर मैं ग्राप से ग्रर्ज करूं कि इस बहस से विदेश मंत्री का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें पता लगेगा कि ऐसे मौके पर क्या करना चाहिये, श्रौर शायद जो निर्णय शक्ति का लोप हो चका है, जिस का ग्रसर सरकार के हर एक काम पर पड़ रहा है, उसमें भी कुछ फायदा होगा।

श्रम्यक्ष महोदय: यह बात बहुत लम्बी चौड़ी है जो ग्राप करना चाहते हैं इस लिये ग्राप मझे लिख कर भेज दें। ग्रगर ग्राप का ख्याल है कि इस बारे में बहस करने से हाउस का फायदा होगा, तो मैं ग्राप से कहं कि इस से न देश का फायदा होगा न किसी श्रौर का होगा । इस वास्ते मैं सब मेम्बर साहबान से ऋपील करना चाहता हं कि वे इस की बहस यहां न छेडें। गवर्नमेंट का जो ब्यान था वह उस ने दे दिया है।

डा॰ राम मनोहर लोहिया: मैं ग्राप से म्रर्ज करूंगा, प्रध्यक्ष महोदय, कि यह देश के हित में होगा कि इस पर खुत्री बहस हो।

अध्यक्ष महोदय: मैंने ग्राप से श्रपील की, मैंने इस बात को बहुत सोचा और आप से भी श्रर्ज किया जब ग्राप मेरे पास ग्राये कि मैं इस को देश के हित में नहीं समझता श्रीर इस वास्ते में इस बहस की इजाजत नहीं दे

डा॰ राम मनोहर लोहिय: मैं क्या ग्राप से एक बात पूछ सकता हूं?

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Why should it be permitted at all? (Interruptions).

Mr. Speaker: That is exactly my fear. It would do us harm rather than good.

Shrimati Renu Chakravartty: It has been done already.

2232

Mr. Speaker: No, no.

डा० राम मनोहर लोहिया: मैं ग्राप से ग्रर्ज करना चाहता हूं कि इस से हर तरह का फायदा होगा क्योंकि यह केवल राष्ट्रपति केनेडी श्रीर श्रमरीका तथा हिन्द्स्तान का ही मामला नहीं है। विदेश मंत्री की निर्णय शक्ति खत्म हो चुकी है।

ग्रध्यक्ष महोदय: ग्रब ग्राप यह[े] बातें दूसरी जगह कर लीजियेगा । एक स्रीर कालिंग ग्रटेंशन नोटिस है, उस को ढाई बजे ले लेंगे ।

12.43 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

OFFICERS OF PARLIAMENT (ADVANCE FOR MOTOR CARS) AMENDMENT RULES

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Sir I beg to lay on the Table a copy of the Officers of Parliament (Advance for Motor Cars) Amendment Rules, 1963 published in Notification No. GSR 1566 dated the 28th September, 1963, under sub-section (2) section 11 of the Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953. [Placed in Library, See No. LT-1966/63.]

ANNUAL REPORTS OF DEVELOPMENT Councils

The Minister of Industry (Shri Kanungo): I beg to lay on the Table-

- (1) a copy each of the following Reports under sub-section (4) of section 7 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951:-
 - (i) Annual Report of the Development Council for Automobiles, Automobile Ancillary Indus-Transport Vehicle tries and Industries for the year 1962-